वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 50/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.02.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली: गैंगेस्टर एक्ट में 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

चन्दन पाल पुत्र श्री लालचन्द्र पाल निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 30.05.2024 को मेरी बहन रंजना पाल पत्नी दुर्गविजय पाल से एक बच्ची महिला हास्पिटल मातबरगंज आजमगढ में आपरेशन से हुयी थी तथा तभी से बच्ची को लेकर मेरी बहन हास्पिटल मे भर्ती थी कि दिनांक 4/06/2024 को रात्रि करीब 2.34 मिनट पर एक व्यक्ति जो टी-शर्ट व हाफ पैन्ट पहने हुआ था हमारी बच्ची को मेरी बहन के पास से उठा कर लेकर चला गया है। हम लोग काफि खोजबिन किये है। किन्तु हमारी बहन की बच्ची जो कि पांच दिन कि है अभी तक नही मिल पायी है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 338/24 धारा 363 भादवि दि. 4.6.24 को पंजीकृत किया गया था। जिसमें बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण को प्रकाश में लाया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 08.02.2025 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, मय हमराह द्वारा थाना कोतवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/25 धारा 3(1),2(b)i यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. सूरज उर्फ पप्पू उर्फ सूर्य प्रकाश पुत्र महजू निवासी बरईपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष, 2.संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासी बेदपुर लाटघाट थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष, 3. सरोज पुत्री हंशराज निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को दिनांक 8.2.25 को समय 06.45 बजे अभियुक्त के घर ग्राम मातनपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 48/25 धारा 2ख(1), 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

क्र0सं0-	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	338/24	120बी,310,311, 363,368 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	205/24	120बी,302,201 भादवि	पवई	आजमगढ़
3	189/24	120बी,311,363,368 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
4	48/25	2ख(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

2.संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासी बेदपुर लाटघाट थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

क्र0सं0-	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	338/24	120बी,310,311, 363,368 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	205/24	120बी,302,201 भादवि	पवई	आजमगढ़
3	189/24	120बी,311,363,368 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
4	48/25	2ख(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

3. सरोज पुत्री हंशराज निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

क्र0सं0-	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	338/24	120बी,310,311, 363,368 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	189/24	120बी,311,363,368 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	48/25	2ख(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, कां0 अभिषेक कुमार सरोज, कां0 अभय राज पासवान , म0कां0 रेशमा सरोज थाना कोतवाली आजमगढ़

02.थाना – कन्धरापुरः अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 10.04.2024 को आवेदक थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 09/04/24 को समय 1 बजे दिन में मेरी बहन कपड़ा सिलाने के लिये गई साथ में 4500 नगद व सोने का पैन्डल भी ले गई जिसकी उम्र 18 वर्ष 02 माह है जिसे अशोक कारुस पुत्र गोविन्द कारुस बहला फुसलाकर रास्ते से भगा ले जाने के के सम्बन्ध में दिनांक 10.04.2025 को मु0अ0सं0 100/24 धारा 366 भादवि बनाम अशोक कारुस पुत्र गोविन्द कारुस ग्राम दुबरहन खुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

प्रकाश में बनाम अभियुक्तगण 1.गोविन्द राम पुत्र लालमन कारूष 2.रेनू पत्नी गोविन्द राम निवासी दुबहरनखुर्द 3. अमित कारूष पुत्र गोविन्द राम (पहले ही गिरफ्तार है।) निवासीगण दुबहरनखुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ व धारा 363/368/120बी/34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.02.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता रेनू अपने घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाये तो पकडी जा सकती है इस सूचना पर विश्वास कर मैं उ0नि0 मय हमराह के अभियुक्ता के घर ग्राम दुबरहन खुर्द आया अभियुक्ता अपने घर के दरवाजे पर मौजूद मिली जिसे मुकदमा उपरोक्त का बोध कराकर समय 13.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

03.थाना सिधारीः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 26.09.2024 को वादिनी मुकदमा के शिकायत प्रकोष्ठ प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रतिवादी रविन्द्र कुशवाहा पुत्र मनीराम साकिन करेमुवा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका को शादी का झांसा देकर एवं जमीन दिलाने का बहाना बनाकर शारीरिक सम्बन्ध/ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाना एवं गर्भ ठहर जाने पर उसका गर्भपात कराना एवं पानी में जहर / विष पिला देने एवं मारने पीटने, गाली गुप्ता एवं जान से मारने तथा आपत्तिजनक वीडियों वायरल कर देने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0370/2024 धारा 115(2)/352/351(2) /69/89/123 बीएनएस बनाम रविन्द्र कुशवाहा पुत्र मनीराम साकिन करेमुवा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी इटौरा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.02.2025 को उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र कुशवाहा उर्फ रवि पुत्र मनीराम मौर्या सा0 करेमुआ थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को नरौली तिराहे से समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

04.थाना मुबारकपुर:किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 07.02.2025 को वादी मुकदमा श्री हरिश्चन्द्र पुत्र सीताराम ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को दिनांक 31.01.2025 को रात्रि मे समय 10.30 बजे विपक्षी मो0 शाहिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व कोर्ट मैरिज करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 59/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम मो0 शाहिद उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.02.2025 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 शाहिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को ग्राम मोईनाबाद अम्बेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

05.थाना- बरदहः अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.02.25 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियो के चेकिंग के दौरान बादिल बाबा मजार ग्राम सरायमोहन से उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रजनीश पाण्डेय उर्फ निखिल पुत्र स्व0 अशोक पाण्डेय मूल पता बसन्तपुर, थाना -सुखपुरा जनपद- बलिया को एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 04.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।